

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल, 2013

विषय- नगर की स्ट्रीट लाइट प्रणाली के अन्तर्गत आटो-टाइमर युक्त विद्युत मीटर लगाया जाना।
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया शासन के पत्र संख्या 1453/नौ-9-2012-90ज/12 दिनांक 07 अगस्त, 2012 एवं संख्या 554/नौ-9-2012-90ज/12 दिनांक 15 मार्च, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर की स्ट्रीट लाइट प्रणाली के अन्तर्गत आटो-टाइमर युक्त विद्युत मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये हैं कि जिन स्थानों पर आटो-टाइमर युक्त विद्युत मीटर लगाया जाना उपयुक्त हो, ऐसे स्थलों का प्रत्येक नागर निकायों द्वारा स्ट्रीट लाइट प्रणाली के अन्तर्गत सर्वे करा लिया जाय और एक माह के अन्दर चयनित स्थलों की सूची उ०प्र० पावर कारपोरेशन के स्थानीय कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय। इस कार्य हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन के स्थानीय/नोडल अधिकारी का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 07.08.2012 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। चूँकि प्रकरण की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर समय-समय पर की जाती है अतएव कृपया प्रकरण में कृत कार्यवाही की अद्यतन प्रगति से शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन, शक्तिभवन, लखनऊ।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
5. समस्त महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र० (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०)
7. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।